तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 107/2025 बउनवान मगसिंह वगैरह बनाम धापुदेवी वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 09.09.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्तां श्री राणाराम गौड़।
2. रेस्पों. संख्या व रेस्पों. संख्या 03 की तरफ से अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी।
3. रेस्पों. संख्या व रेस्पों. संख्या 06 की तरफ से अधिवक्ता श्री नृसिंह सोंलकी।
4. शेष रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। शेष रेस्पों. को तामील रिपोर्ट मय डिलेवरी रिपोर्ट के प्रस्तुत। जिससे शामिल मिसल किया गया। शेष रेस्पों. की तामील पर्याप्त मानी जाती है। बाबजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आराजी अपीलांट्स की पैतृक संयुक्त एवं कब्जा–काश्त शुदा आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धातों व उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गये अधिमतों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलांटगण को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोंडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल पत्रावली में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं संलग्न पेश दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना पारित किया गया। प्रार्थीगण/अपीलांट के पैतृक संयुक्त व कब्जा–काश्त की भूमि मौजा बाडमेर गादान, पटवार हल्का बाडमेर आगोर, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 2209

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रकबा 9 बीगा 13 बिस्वा अर्थात 1.5621 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम व खसरा संख्या 2717/2211(2211/2) रकबा 51 बीगा 13 बिस्वा अर्थात् 8.3607 हेक्टेयर किस्म बारानी सोयम की अविस्थत है। हस्तगत वादग्रस्त आराजी संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित भूमि होने से भूमि पर अपीलांट का संयुक्त कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी एवं उसके पूर्वज हिन्दू विधि से शासित होते हैं इस कारण सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी में वादग्रण का भी अपने पिता मोहनसिंह के साथ बराबर–बराबर का हिस्सा निहित था। परन्तु वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के परिवार के कर्ता पिता मोहनसिंह का भी नाम दर्ज था वर्तमान में मोहनसिंह द्वारा अपने वैध हिस्से से ज्यादा का बेचान कर दिया है तथा वर्तमान में और अधिक भूमि का बेचान करने पर आमादा है। जिसमें अपीलांट का हक–हिस्सा निहित होने से उक्त आराजी को बेचान होने से रोकने हेतु स्थगन आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत है तथा अपीलांट को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर रहे हैं। रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है अगर रेस्पों. अपने उक्त मकसद में सफल रहे तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। उक्तानुसार प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में होने के कारण से अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अंतरिम आदेश है। अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील मेंटेनेबल ही नहीं है। दस्तावेजात सही है या नहीं यह दावे में तय होगा। न्यायालय को तय यह करना है कि मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे या नहीं है। अपीलांट द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की गई है। जिसमें अपीलांट को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश केस डिसाइडेड की श्रेणी में नहीं आता है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस प्रकार के आदेश से प्रार्थी किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित है यह अपील में कहीं भी स्पष्ट नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली व वकील रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। समय–समय पर कई बेचान किये गये हैं जो साक्ष्य व संबूत के आधार पर मूल वाद में ही

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तय हो सकता है। हाजा न्यायालय की राय में रेकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

9/9/2015

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर